फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती वरदीबाई बनाम विपक्षी : श्री रामलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 70/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 6, 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। अधिवक्ता विपक्षी मय विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10/1 से 10/6, 11 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10/1 से 10/6, 11 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 12 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 12 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पति है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा जन्म से निहित होकर संयुक्त आधिपत्य में है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मूल पुरूष उंकार जी थे। प्रार्थनाग्रस्त भूमि उंकार जी के समय से चली आ रही है और उंकार जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि रामलाल (प्रतिवादी संख्या 1) के खातेदार के नाम पर दर्ज हुई व रामलाल के नाम जो हिस्सा दर्ज हुआ उसमें मुझ प्रार्थीया का हिस्सा स्वत्व निहित हो गया था उसी अनुसार मौके पर 1/6 हिस्सा से कब्जा काश्त है जिसमें प्रार्थीया का भी परिशिष्ट क में 1/6 हिस्सा व परिशिष्ट ख में 1/6 हिस्सा होकर कब्जा काश्त है। प्रार्थीया का सम्पूर्ण आराजीयात में से 1/6 व 1/6 हिस्सा पर कब्जा है व प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि में काश्त कर रही है इस तरह से प्रार्थीया विवादित आराजीयात में से 1/6 व 1/6 हिस्सा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है इसलिए घोषणा का वाद भी प्रस्तुत किया गया व विपक्षी संख्या 6 से 11 ने जो जमीन विपक्षी संख्या 1 से खरीदी है उसे खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हो रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 को अपने 1/6 हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है फिर भी विक्रय कर दी है उसे निरस्त कराया [illegible] विपक्षीगण उक्त खुर्द–बुर्द नहीं करें जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब [illegible] नहीं किया गया व अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी

संख्या 6 से 11 के नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को मौरूसी बता कहा है जिसमें प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरे प्रार्थीया श्री उंकार जी की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है। विपक्षीगण ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत सजरे का किसी प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है या नही ? इस विन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जा सकता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के विन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2051–54 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 126 की आराजी नम्बर 261 श.न. 262 270 271, 263 श.न. 267 268, 269, 279, 282, 283, 289 श.न. 290, 291, 296 श.न. 297, 615 श.न. 616, 618 श.न. 619 657/1, 623 श.न. 624, 652 किता 13 रकबा 7 बिघा 3 बिस्वा भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 128 की आराजी नम्बर 613/1 रकबा 2 बिघा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested